न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 16/2024

जी.सी.एम.एस. : 2024/234

अपीलान्ट–

अन्नाराम पुत्र चुनाराम जाति जटिया निवासी धाकड़ी तहसील सोजत जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेन्ट–

1. मृतक देवाराम पुत्र चुनाराम जाति जटिया निवासी धाकड़ी सोजत तहसील सोजत जिला पाली के कायम मुकाम
   1/1 पुरण पुत्र देवाराम
   1/2 तेजाराम पुत्र देवाराम
   1/3 विध्यादेवी पत्नी देवाराम
   1/4 कंचन पुत्री देवाराम
   1/5 दरिया पुत्री देवाराम
2. घेवरी पुत्री चुनाराम पत्नी सुजाराम निवासी खैरवा तहसील व जिला पाली
3. कमला पुत्री चुनाराम पत्नी बाबुलाल निवासी बिठुड़ाकला तहसील व जिला पाली
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सोजत जिला पाली

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनलाल वर्मा।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री पीताराम परिहार।
3. रेस्पोडेण्ट संख्या 4 की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 28/11/2025

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत तहसीलदार सोजत द्वारा ग्राम धाकड़ी के नामान्तरकरण संख्या 256 पर पारित आदेश दिनांक 15.05.1989 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट संख्या 1/1 से 1/5 बावजूद सम्मन तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अति. जिला कलक्टर, पाली

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 के पिता, दादा व ससुर चुनाराम पुत्र दुर्गा जाति जटिया की पैतृक कृषि भूमि ग्राम धाकड़ी में आई हुई है, जिसके खसरा संख्या 2107 रकबा 0.81 है। चुनाराम के दो पुत्र अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 देवाराम तथा दो पुत्रियां रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 है। चुनाराम का देहान्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के जरिये सम्पूर्ण आराजी केवल रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी जबकि अपीलाण्ट भी चुनाराम के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने चुनाराम के वारिसानों की बिना कोई जांच किये और अपीलाण्ट को नोटिस दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। जैर अपील आदेश की जानकारी होते ही अन्दर म्याद उक्त अपील पेश की। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिविरूद्ध तरीके से पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलाण्ट, रेस्पोडेण्ट संख्या 1 देवाराम, जो कि वर्तमान में फौत हो चुका है तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 2, 3 सगे भाई बहन है और चुनाराम की सन्तान है। चुनाराम के फौत होने पर देवाराम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य पेश कर सम्पूर्ण आराजी केवल अपने नाम से दर्ज करवा दी जो कि विधिविरूद्ध है। अतः उक्त नामान्तरकरण को खारिज किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर अपील तहसीलदार सोजत द्वारा ग्राम धाकड़ी के नामान्तरकरण संख्या 256 पर पारित आदेश दिनांक 15.05.1989 के विरूद्ध पेश की है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण में सर्वप्रथम हम अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र के निर्णय में उचित समझते है कि उक्त आवेदन व शपथ पत्र अखंडित है। प्रकरण में अपीलाण्ट्स का उदाराम की पुत्री होने का तथ्य व्यक्त रूप से स्वीकृत है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अनुसार पुत्री का भी प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी होना बनता है। नामान्तरकरण से अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाता है। तद्नुसार उसे अपने हक अधिकारों से वंचित किये जाने का नामान्तरकरण प्रथम–दृष्ट्या विधि विरूद्ध है जिससे प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र को अखंडित मानते हुए म्याद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस मुख्य रूप से यह उज्र किया कि अपीलाण्ट अन्नाराम एवं रेस्पोडेण्ट्स देवाराम (फौत), घेवरी, कमला के पिता चुनाराम की ग्राम की पैतृक कृषि भूमि ग्राम धाकड़ी में कृषि भूमि आई हुई है, जिसके खसरा संख्या

अति. जिला कलेक्टर, पाली

2107 है। चुनाराम फौत हो जाने पर जैर आराजी का फौतेदगी नामान्तरकरण केवल उनके पुत्र देवाराम के पक्ष में स्वीकृत किया गया। प्रकरण में अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेण्टस ख्या 2 व 3, जो कि मृतक चुनाराम के पुत्र एवं पुत्रीयां है उनके द्वारा विवादित नामान्तरकरण संख्या 256 को उनके प्रथम श्रेणी के हिन्दु उत्तराधिकारी होने के कारण खारिज किया जाकर उनका भी नाम विरासस में दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। साथ ही अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने भी अपीलाण्ट, चुनाराम के विधिक उत्तराधिकारी/वारिशान होने के तथ्य को भी किसी रूप से नकारा नहीं है। हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 08 के अन्तर्गत हिन्दु के निर्वसीयती मृत्यु होने पर उनके प्रथम श्रेणी के वारिसानों में उनके सभी पुत्र एवं पुत्रियां भी शामिल होती है परन्तु इस प्रकरण में मृत चुनाराम की विरासत में उनके सभी पुत्र एवं पुत्रियों को वंचित किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। स्पष्टतया यह प्रकरण विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विरूद्ध है तथा जैर नामान्तरकरण निरस्त किये जाने का प्राथमिक आधार है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार सोजत द्वारा ग्राम धाकड़ी के नामान्तरकरण संख्या 256 पर पारित आदेश पर पारित आदेश दिनांक 15.05.1989 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, तहसीलदार सोजत को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को विधिवत सुनवाई का अवसद देकर हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुये दस्तावेज/साक्ष्य की जांच कर नव सरे विधिनुसार निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 28/11/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली